प0 सं0 / 380 / कमि0वा0क0(जी0एस0टी0) / 2017–18 / वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 कैम्प)
लखनऊ :: दिनांक :: 22 :: जून, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– **जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रिफण्ड समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशानिर्देश।**

जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था होने तक जी0एस0टी0 के अन्तर्गत नियमानुसार देय रिफण्ड मैनुअली किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से भारी संख्या में प्रार्थना पत्रों के अनिस्तारित होने के कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31.05.2018 से दिनांक 14.06.2018 तक रिफण्ड पखवाड़ा मनाया गया था तथा दिनांक 30.04.2018 तक पोर्टल पर अपलोड सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस पखवाड़ा अवधि में कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि पखवाड़ा अवधि में निस्तारण की प्रगति संतोष जनक नहीं रही और इस अवधि में 30 प्रतिशत से भी कम प्रार्थना पत्र निस्तारित किये गये।

उक्त परिस्थितियों के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.06.2018 को प्रदेश के निर्यातकों के साथ एक बैठक की गयी तथा रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्ताण में आ रही कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की गयी। निर्यातकों द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में निम्नवत समस्याएं बतायी गयी।

1. पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्रों की हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर सामान्यतः प्राप्त ही नहीं की जाती और कमियां बताकर वापस कर दी जाती है।
2. जहां पोर्टल पर दाखिल प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी प्राप्त कर ली जाती है वहां भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्राप्ति की कोई रसीद जारी नहीं की जाती और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण किया जाता है।
3. हार्ड कॉपी दाखिल करने के उपरान्त टुकड़ों–टुकड़ों में कई बार कमियां बतायी जाती हैं जिनके निस्तारण हेतु बार–बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अनावश्यक समय नष्ट होता है तथा निस्तारण में भी विलम्ब होता है।

निर्यातकों द्वारा बतायी गयी समस्याएं इस कारण से उचित प्रतीत होती हैं कि अभी तक जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्रों में से आपके स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार 30 प्रतिशत से भी कम प्रार्थना पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होना दर्शाया जा रहा है जो किसी भी दशा में औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता और अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया था कि जिन व्यापारियों के प्रार्थना पत्र पोर्टल पर अपलोड हो गये हैं और यदि उनके द्वारा हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है तो सम्बन्धित खण्डाधिकारी अपने स्तर से व्यापारी से टेलीफोनिक सम्पर्क कर, व्यापार मण्डलों, निर्यातक संघों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी प्राप्त कर उनका निराकरण करेंगे,